4.6 क्षेत्रीय निदेशक क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना के अस्पतालों में रेफर किए गए हितलाभार्थियों के लिए एक दिन की विशेष भुगतान छुट्टी के प्रावधान के लिए नियोक्ताओं के साथ समन्वय करेंगे।

नियोक्ता के उत्तरदायित्व

5.1 नियोक्ता निर्धारित तिथि और समय पर कार्यक्रम के लिए लक्षित लाभार्थियों के नामांकन के लिए प्रोत्साहित करेगा।

5.2 नियोक्ता कार्यक्रम के निर्विघ्न संचालन के लिए उपयुक्त स्थल और अन्य सहयोग प्रदान करेगा।

5.3 नियोक्ता हितलाभार्थियों को एक दिन की विशेष भुगतान छुट्टी की सुविधा प्रदान करेगा।

जनसम्पर्क प्रभाग, मुख्यालय के उत्तरदायित्व

6.1 रेडियो जिंग्ल्स, मीडिया विज्ञापन तैयार करके और ट्विटर, फेसबुक आदि विभिन्न क.रा.बी. निगम हैंडल के माध्यम से संदेश फैलाकर कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करना।

6.2 क.रा.बी. निगम की वेबसाइट और अन्य क.रा.बी. निगम एप्प पर कार्यक्रम से संबंधित सूचना पोस्ट करना।

6.3 निवारक स्वास्थ्य जांच और जीवन–शैली में बदलावों के महत्व पर बीमाकृत व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करना।

6.4 कार्यक्रम के अंतर्गत श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करने वाले क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों के लिए प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा देना।

सूचना सम्प्रेषण प्रोद्योगिकी (आईसीटी) प्रभाग, मुख्यालय के उत्तरदायित्व

7.1 बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं की निवारक स्वास्थ्य जांच से संबंधित आंकड़ों की जटिलता–रहित (हैजल–फ्री) फीडिंग के लिए सूचना सम्प्रेषण प्रोद्योगिकी (आईसीटी) प्रभाग उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित करेगा ताकि इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सके और चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने की नीति–योजना के लिए क.रा.बी. निगम द्वारा उपयोग किया जा सके ।

7.2 कार्यक्रम के सुचारु और प्रभावी रोल–आउट के लिए डिजिटल प्लेटफार्म का अधिकतम रूप में उपयोग करना।

कार्यक्रम, एक बार क्रियान्वित होने के बाद बीमाकृत व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार करने में सक्षम होगा और इस प्रकार देश के आर्थिक विकास और सामाजिक हित में वृद्धि करेगा।

सत्यमेव जयते
क.रा.बी.नि. E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

टोल फ्री नं. : 1800-11-2526, मेडिकल हेल्पलाईन नं. : 1800-11-3839

Website: www.esic.nic.in, www.esic.in

esic.nic.in @esichq @esichq @esichq @esichq @esichq

04 ईएसआईसी अस्पतालों में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के ईएसआई बीमित व्यक्तियों/बीमित महिलाओं (आईपी/आईडब्ल्यू) के लिए पायलट वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम का शुभारंभ

अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता

सत्यमेव जयते
क.रा.बी.नि. E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश के बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं (और उनके आश्रित परिवार सदस्यों) को अन्य बातों के साथ साथ ही विभिन्न फलकों पर हितलाभ प्रदान करता है जिनमें निवारक, संवर्धन, निदान–उपचार और पुनर्वास संबंधी चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। हमेशा बढ़ते रहने वाले व्यवसायजन्य/औद्योगिक जोखिमों और देश में लोगों के तेजी से बदलते रहन–सहन के दृष्टिगत निवारक स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से या अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।

अक्सर "कोई भी घातक स्वास्थ्य की स्थिति" तब तक अपने होने का कोई स्पष्ट संकेत या लक्षण नहीं देती जब तक वह बहुत बढ़ नहीं जाती (या आगे नहीं पहुंच जाती)। बीमारी की शीघ्र/जल्दी पहचान (निदान) न केवल स्वास्थ्य की खराब स्थिति को रोक पाती है बल्कि समय से उसके जटिल, गंभीर होने की संभावना पर भी लगाम लगाती है। उदाहरण के लिए बीमारी के अनेक (वित्तीय भारों के साथ–साथ) अनेक भार होते हैं जिनमें हृदय रोग, किडनी और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में बीमारी की समस्याएं जैसे रक्तचाप, मधुमेह या कैंसर हैं जो कि समय से पहचान हो जाने पर रोके जा सकते हैं। इस संबंध में क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं के हित के लिए निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

इन प्रयासों को आगे और सशक्त करने हेतु बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित और केंद्रित निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम एक लंबी दूरी तक चलेगा जो राष्ट्र के कार्यबल को स्वस्थ रखने के साथ ही निदान न होने वाली उन लंबी/दीर्घ अवधि की बीमारियों में समस्याएं/जटिलताएं आने पर उसके प्रबंधन पर खर्च होने वाले अतिविशिष्ट (सुपरस्पेशलिटी) उपचार का उच्च व्यय भी बचाएगा। तदनुसार, कार्यक्रम के प्रस्तावित विवरण निम्नानुसार है :

लक्ष्य

बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं जिनकी आयु 40 वर्ष या अधिक है, उनके लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा योजना संस्थानों अर्थात चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों द्वारा चलाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

1.1 क.रा.बी.निगम/क.रा.बी.योजना अस्पतालों के माध्यम से लक्षित बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं के लिए अपोइंटमेंट आधारित नियमित स्वास्थ्य जांच करना।

1.2 स्क्रीनिंग कैंपों से आगे की जांच/परीक्षण प्रबंधन के लिए रेफर होकर आने वाले हितलाभार्थियों हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम/कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों को सभी वांछित प्रयोगशाला सेवाओं (लैब सर्विस) और अन्य संबंधित सेवाओं से सुसज्जित रखा जाए।

विभिन्न माध्यमों द्वारा उपर्युक्त वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना तैयार की गई है जिसकी रूपरेखा नीचे दी गई है :–

संगठनात्मक ढाँचा

2.1 कार्यक्रम में की जा रही गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पताल स्तर पर एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ का नेतृत्व अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित) करेंगे। वे कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का समन्वयन करेंगे।

2.2 यह प्रकोष्ठ चिकित्सकों तथा अन्य नर्सिंग और परा–चिकित्सा स्टाफ के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करेगा। इस संबंध में संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाए ।

चिकित्सा अधीक्षक (एम.एस.), क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पताल का उत्तरदायित्व

3.1 चिकित्सा अधीक्षक स्वास्थ्य जांच टीम का गठन करेगा जिसमें मेडिसिन, वक्ष, नेत्र, स्त्री रोग एवं प्रसूति और कान–नाक–गला (ईएनटी) विभाग के चिकित्सक शामिल होंगे। चिकित्सकों की टीम को आवश्यक नर्सिंग, परा–चिकित्सा और अन्य सहायक कर्मचारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध किए जाने हैं ।

3.2 कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यभार की प्रकृति और मात्रा के आधार पर टीम की संरचना भिन्न हो सकती है। यदि आवश्यक हो तो क.रा.बी.निगम अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों के क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सहयोजित किया जा सकता है।

3.3 कार्यक्रम संचालित करने के लिए विस्तृत गतिविधियां स्थानीय नियोक्ता और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम के समन्वय से अग्रिम रूप से तैयार की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम की गतिविधि के लिए चिह्नित बीमाकृत व्यक्ति/बीमाकृत महिला के एपाइंटमेंट हेतु नियोक्ता को अग्रिम रूप में सूचित किया जाएगा।

3.4 बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं का परीक्षण संलग्नक 'क' के अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य रिकार्ड फार्मेट के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.5 आवश्यक जांच के लिए खून का नमूना डिजीटल रिकार्ड के उचित अनुरक्षण के साथ शिविर स्थल पर लिया जाएगा। जैसे ही नमूने की प्रयोगशाला जांच की जाती है, उसकी रिपोर्ट को डिजीटल साधन/व्ट्सहऐप/ई–मेल के माध्यम से तुरंत लाभार्थी को साथ साझा किया जाएगा।

3.6 लाभाथियों को जिनकी जांच हो चुकी है यदि उनकी अतिरिक्त जांच/प्रबंधन की आवश्यकता है तो उन्हें तदनुसार विशिष्टता/अति–विशिष्टता बाह्य रोगी विभाग/विभाग में रेफर किया जाएगा।

3.7 साथ–साथ, विद्यमान स्थानीय सामान्य रोगों के निवारक पहलू पर स्वास्थ्य बातचीत और स्वास्थ्य प्रदर्शनी की भी व्यवस्था पोस्टर और श्रव्य–दृश्य सामग्री के माध्यम से की जाएगी।

3.8 चिकित्सा आयुक्त नियमित रूप से अनुवीक्षण कर उद्देश्य के लिए सृजित विशेष प्रकोष्ठ के संचालन में सुधार करेंगे।

क्षेत्रीय निदेशक का उत्तरदायित्व

4.1 क्षेत्रीय निदेशक 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं की सूची उनके संपर्क विवरण (मोबाइल नं.) सहित तैयार करेंगे और डेटा संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के साथ साझा करेंगे।

4.2 स्थापनाओं/कारखानों के स्थल की पहचान करने के पश्चात जोखिम वाले उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय निदेशक, एपाइंटमेंट प्रक्रिया के माध्यम से अस्पताल में बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं के वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए नियोक्ताओं और चिकित्सा अधीक्षक के साथ समन्वय करेंगे।

4.3 स्वास्थ्य जांच में निकटवर्ती क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना औषधालयों को भी शामिल किया जाएगा और इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा।

4.4 कार्यक्रम का एक बार सभी क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पतालों तक विस्तार होने पर क्षेत्रीय निदेशक राज्यों द्वारा संचालित क.रा.बी. योजना अस्पतालों एवं औषधालयों के माध्यम से कार्यक्रम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निदेशक, बीमा चिकित्सा सेवाओं के साथ भी समन्वय करेंगे।

4.5 क्षेत्रीय निदेशक कार्यक्रम के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए क.रा.बी. निगम और क.रा.बी. योजना स्वास्थ्य तंत्र दोनों को सभी आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेंगे।